काले धन का विमुद्रीकरण

१९६७

चौधरी चरण सिंह

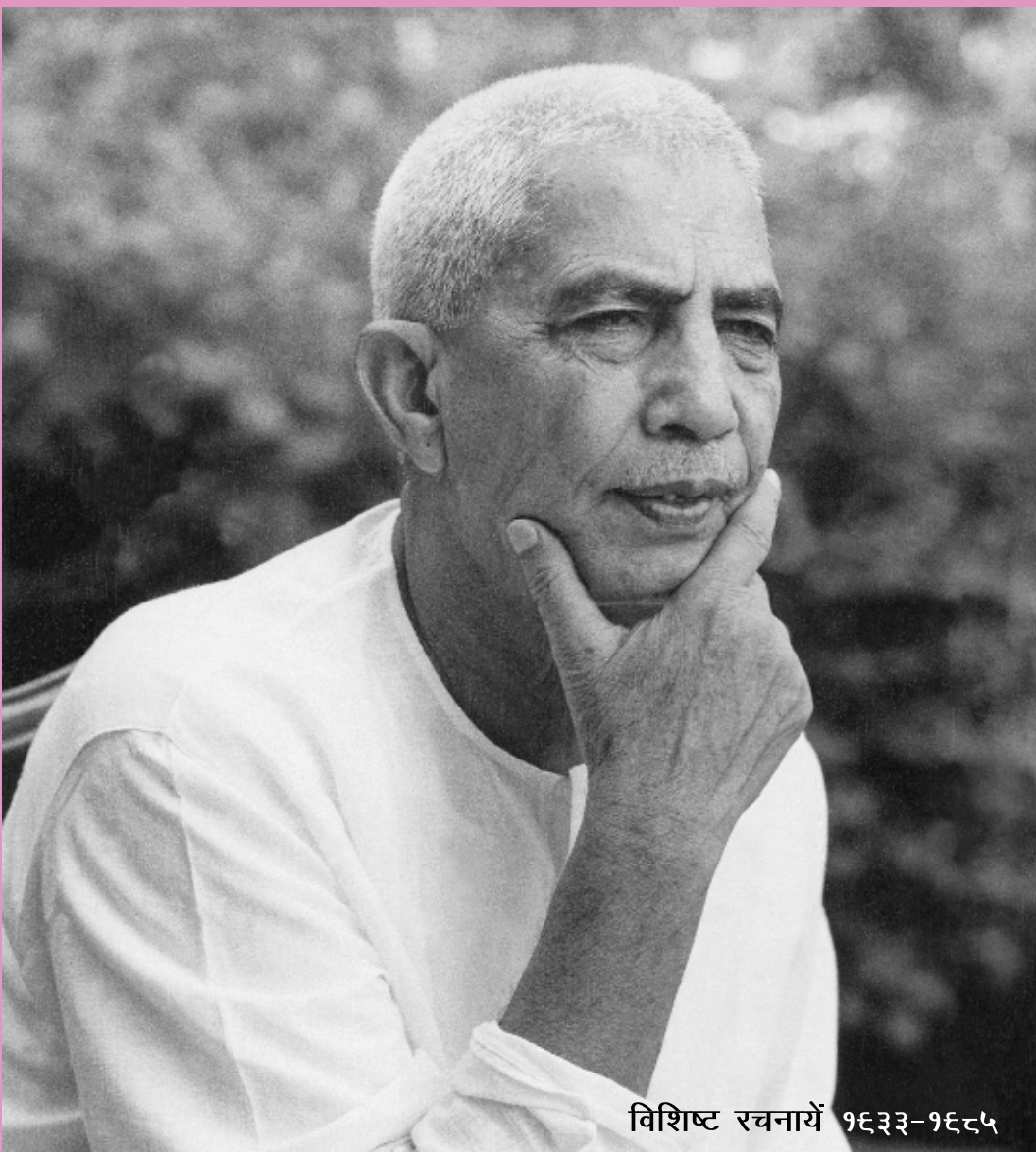

विशिष्ट रचनायें १९३३-१९८५

२६ जनवरी २०२२
चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.org
info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १९५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १९०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[1] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

---

* चरण सिंह के अपने शब्दों में

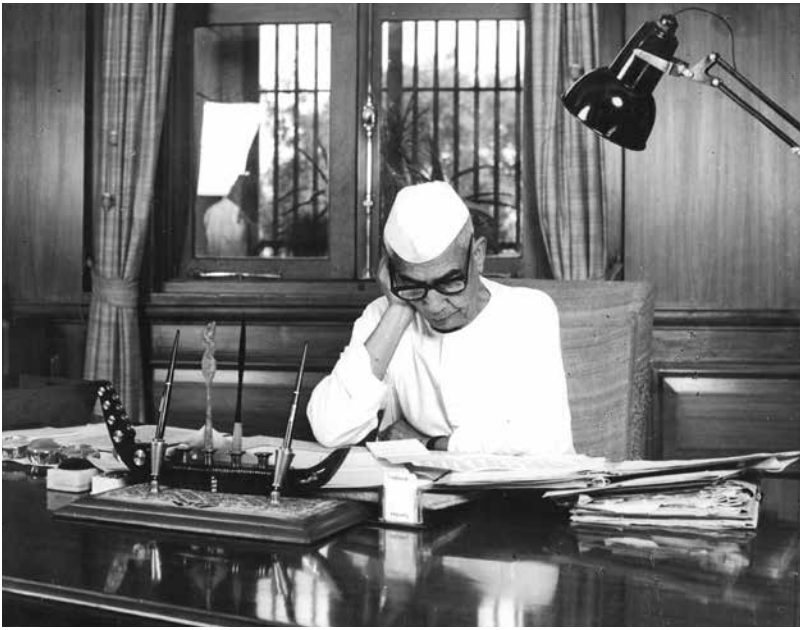

चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्लीं, १९७९

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

१
काले धन का विमुद्रीकरण

आज देश में काले धन की समानान्तर अर्थ–व्यवस्था का संकट है। चौधरी चरणसिंह ने काले धन में वृद्धि तथा 'काले धन को कैसे बाहर निकाला जाए' इस मुद्दे पर एक नोट तैयार किया था तथा १९६७ में जब वह उत्तर प्रदेश की संविद सरकार में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यह नोट सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा था। इस नोट में दिये गये सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि तकरीबन पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान भारत में मुद्रा का काफी प्रसार हुआ है। प्रसार की इस सीमा को निम्नलिखित आंकड़ों के जरिये समझा जा सकता हैः

तिथि	सक्रिय प्रसार वाले नोटों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणी
३१ दिसम्बर १९३९	२७१.५७	एक रुपये के सिक्के का कुल ६४.०४ करोड़ रुपये मिलाकर
३१ दिसम्बर १९६५	२,७४४.००	
२६ मई १९६६	२,९७७.२०	

युद्धकालीन वर्षों की चर्चा करते हुए इलाहाबाद बैंक ने अपने शतवार्षिकी अंक (१९६१) में उल्लेख किया, "बात सिर्फ इतनी नहीं कि कीमतें बढ़ीं, बल्कि जमाखोरी एवं काला बाज़ारी भी भरपूर हुई, इस हद तक कि १९४२–६५ की अवधि में बेहिसाब धन की जमकर बढ़ोतरी हुई–ऐसा धन, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया था। नतीजतन उसके कुछ ही वर्ष बाद इस समानान्तर अर्थ व्यवस्था में उस धन के प्रसार के कारण ही अपने आप में एक समस्या खड़ी हो गयी।

इन्हीं समस्याओं से आज हमारा सीधा साक्षात्कार हो रहा है।

इस समानान्तर अर्थ–व्यवस्था या देश में काले धन के प्रसार सम्बन्धी

कई आंकलन हुए हैं और इन आंकलनों के मुताबिक काला धन कम से कम ५०० करोड़ रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा १३७२ करोड़ रुपये है, जो ३१ दिसम्बर १९६५ तक जारी की गई कुल मुद्रा का आधा होता है। पिछले दो साल में स्वैच्छिक घोषणा के तहत या आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों में जितना काला धन बरामद किया गया, वह वस्तुतः कुल काले धन का नगण्य प्रतिशत भर ही है।

काला धन बिल्कुल अनुत्पादक होता है, क्योंकि न तो इससे उद्योग स्थापित हो सकते हैं और न ही उत्पादन के किसी सुनिश्चित जरिये में उसका निवेश हो सकता है। यह करों की चोरी का जरिया भी है। वैसे व्यापार में इस मुद्रा के प्रसार एवं निजी उपयोग की वस्तुओं पर उसके अनाप–शनाप उपयोग के कारण कीमतें बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के तौर परः

एक सरकारी कर्मचारी 'अ' अपनी फियेट कार को किसी व्यापारी 'ब' के हाथों, मान लें, २४,००० रुपये में बेचता है। 'ब' इसके लिए १४,००० रुपये सफेद धन में देता है एवं १०,००० रुपये काले धन में, रसीद सिर्फ १४,००० रुपये की होती है।

अब 'अ' इस काले धन को निपटाने/ठिकाने लगाने के लिए निम्नलिखित तरीकों में से कोई एक अपनाता है

(क) वह उच्च स्तर का रहन–सहन अपनाता है, कुछ महीने एवं वर्षों तक, जब तक वह धन प्रसार में नहीं आ जाता है।

(ख) वह 'स' से कुछ ठोस चीजें, मान लें ३०,००० रुपये में खरीदता है, जिसमें २०,००० रुपये सफेद धन होता है एवं १०,००० रुपये काला धन।

'स' भी ऊपर दिये गये, दो में कोई एक तरीका काले धन को ठिकाने लगाने के लिए अपनाता है।

'अ' एवं 'स' अपने काले धन से कभी भी १०,००० रुपये के मूल्य के बराबर सोना खरीद सकते हैं। सोने का व्यापारी तस्करी में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है और जिनके पास काला धन है, उन्हें बेचता है।

बताया जाता है कि पिछले साल अप्रैल में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर पांच लाख रुपये का सोना हिन्दुस्तान में पकड़ा गया।

भारत में सोने, मोतियों एवं बहुमूल्य पत्थरों की जितनी विशाल पैमाने पर तस्करी एवं बिक्री होती है, उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। हालांकि सोने के तस्करों को पकड़ने की कुछ कोशिशें हुई हैं लेकिन अभी तक मोतियों एवं बहुमूल्य पत्थरों के तस्करों को कभी छुआ भी नहीं गया है। काले धन का प्रयोग तस्करी और सोने की खरीद में होता है, यह खुद पूर्व वित्तमंत्री ने ही स्वीकार किया था। अखबारों में

प्रकाशित एक समाचार के अनुसार पिछले साल उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि अवमूल्यन से एक फायदा भी होगा, क्योंकि जमाखोरी करके इकट्ठा किये गये रुपयों से सोना ही खरीदा जाता है।

कुछ सरकारी हलकों में यह विश्वास है कि 'काला धन' निष्क्रिय धन है या ज़्यादा से ज़्यादा यह कि इसका प्रसार हो सकता है लेकिन बहुत धीरे–धीरे। जबकि बैंक मालिकों एवं व्यापारियों को यह अच्छी तरह मालूम है कि 'काले धन' के प्रसार का वेग अगर ज़्यादा नहीं, तो श्वेत धन के बराबर का है ही।

व्यापारियों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, प्रबन्धक या रियासती प्रतिनिधियों, परिवहन मालिकों, भूतपूर्व जमींदारों एवं राजाओं, भ्रष्ट अधिकारियों, यहां तक कि कुछ राजनीतिज्ञों–खेद के साथ हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा–के पास पड़े हुए इस अनुत्पादक धन को निष्प्रभावी करने का एक ही तरीका है जो निम्नलिखित है–

प्रत्येक मूल्य के नोटों को फिलहाल मौजूदा नोटों से अलग रंगों में सरकार मुद्रित करे और इन नये नोटों से पुराने नोटों को बदलने के लिए छह महीने से लेकर साल भर तक का समय दे। निर्धारित तिथि के बाद पुराने सभी नोट अपने आप विमुद्रित हो जायेंगे, क्योंकि उनका कोई मूल्य ही नहीं रह जायेगा।

नाजायज तरीके से प्राप्त इस धन को बचाने के लिए इसके मालिक एक या उससे अधिक निम्नलिखित तरीकों में से अपनाने की कोशिश करेंगे–

(क) वे अपने 'काले' धन को रियायती कीमतों पर ऐसे लोगों को बेच सकते हैं, जो आयकर, बिक्री कर की अदायगी के बावजूद एक सीमा तक कुछ धन रखने की सामर्थ्य रखते हों, भले ही उनके पास ऐसे (सफेद) धन की मात्रा बहुत कम हो।

(ख) वे बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को बहाल कर सकते हैं, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर अनेक नामों से उनके काले धन को कम मूल्य के नोटों में बदल सकते हैं।

(ग) वे बड़े किसानों, जिन्हें मौजूदा कानून के तहत कोई आय या बिक्री कर नहीं देना पड़ता और आजकल माना जाता है कि उनके पास भी काफी धन हो गया है, के जरिये भी नोट–परिवर्तन का काम करा सकते हैं।

इस तरह के छल–कपट को रोकने या कम करने के लिए हमें तीन ऐसे फार्मों, जिनका स्वरूप पृष्ठ नं० ११७ पर दिया गया है, की कानूनन ज़रूरत पडेगी, जिसमें से किसी एक में ऐसे परिवर्तन का बाकायदा

उल्लेख होगा। बाद में ऐसे विवरणों की जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी भी आदमी के पास उतना अपवर्तित धन पहले से था, जितना उसके व्यापार, नौकरी या खेती के स्रोतों से घोषित या सम्भावित तौर पर, अगर आमदनी टैक्स योग्य नहीं है, हो सकता है।

फिर यह भय ही कि इस तरीके से उनका 'काला' धन उजागर हो सकता है, वैसे लोगों को पुराने नोटों (काले) को नये नोटों (सफेद) में बदलने से रोकेगा। इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी के लिए जो दोषी पाये जायें, उनसे, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही जुर्माना वसूलने का प्रावधान हो, जितना काला धन उसके पास से बरामद हो।

उपर्युक्त विधियों के, जो छह से बारह महीने तक लागू रहेंगी, निम्न लिखित फायदे हैं–

(i) इसको लागू करने के लिए बहुत कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

(ii) कुछ खास मात्रा में नये नोटों का मुद्रण जैसे ही हो जाता है, इस योजना को लागू किया जा सकता है और उसके बाद जब तक परिवर्तन की अवधि बरकरार रहती है, मुद्रण जारी रखा जा सकता है।

(iii) स्वर्ण नियंत्रण कानून के विपरीत इस सिलसिले में नया विधान बनाने के लिए सरकार को संसद में जाने की ज़रूरत नहीं। यों भी सारे राजनीतिक दलों में मौजूदा स्वार्थी तत्त्व ऐसे विधान को गिराने के लिए एकजुट हो सकते हैं।

(iv) यह चुनाव–वर्ष है, फिर भी अगर इस आशय की घोषणा की जाती है, तो भी नोटों के परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार की कोई आलोचना नहीं करेगा, यहां तक कि वामपंथी भी नहीं, व्यक्तिगत राय चाहे जो भी हो।

(v) अंत में, इस योजना का उद्देश्य ही है 'काले धन' के प्रसार को रोकना। जैसे ही इस योजना के पूर्ण विवरण की घोषणा की जायेगी, तस्करी से लाये गये सोने, बहुमूल्य पत्थरों, मोतियों, ट्रांजिस्टरों, घड़ियों, भवनों, व्यापार इत्यादि में इसका निवेश अप्रभावी हो जायेगा, क्योंकि यह जानकर कि इसे जल्दी ही नये नोटों से बदलना पड़ेगा, कोई भी 'काला' धन स्वीकार नहीं करेगा।

काला बाज़ारी, जमाखोरी एवं तस्करी इत्यादि की दीर्घकालिक तौर पर रोकथाम करने के लिए यह बाकायदा घोषित हो कि इस विधि को प्रत्येक पांच साल बाद या ज़रूरत पड़ने पर उससे पहले भी दुहराया जायेगा।

पूरे विश्वास के साथ यह उम्मीद की जाती है कि इससे देश की अर्थ

व्यवस्था को होने वाले लाभ इस प्रकार होंगे–

(क) ऐसी जिन्सों, जिनकी वास्तविक कमी नहीं है, की कीमतों में वृद्धि रुक जाएगी।

(ख) मात्र २५ प्रतिशत मुद्रा के विमुद्रीकरण के साथ ही कीमतों का गिरना तय है एवं यह गिरावट जितने प्रतिशत का विमुद्रीकरण होगा, उसकी मात्रा के हिसाब से कहीं ज़्यादा होगी। फिर, जैसे कीमतों में वृद्धि जमाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, उसी तरह दामों के गिरने से विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है एवं स्नोवाल (बर्फ की गोली) के लुड़कने जैसा प्रभाव अस्तित्व में आता है।

(ग) हालांकि कृषि जन्य उपज की यथेष्ट कमी है, फिर भी उनकी कीमत उस मात्रा के अनुपात से शुरू में गिरेगी, जितना स्टॉक बाज़ार में लाने को जमाखोर मजबूर हो जायेंगे। मान लें, अगले साल भी कमी बनी रहती है, तो कीमतें फिर बढ़ेंगी और किसान भी अन्त में घाटे में नहीं रहेंगे।

(घ) औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में 'काले' धन को खत्म करने के लिए उठाये गये कदम से व्यापारियों एवं दूसरे जमाखोरों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वे या तो सोने को बेचकर अपना जीवन–स्तर और उठाएं या उससे पूंजी प्राप्त कर अपने व्यापार में लगायें। जमा किये गये सोने को बाहर लाने के लिए स्वर्ण नियंत्रण कानून को तत्काल रद्द करना जरूरी लगता है–जिस पर भारत सरकार भी गम्भीरता से विचार कर रही है।

स्वर्ण बांड योजना असफल हो गयी, विशेषकर इसलिए कि सरकार ने सोने को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से खरीदने की पेशकश की थी, जिसका देश के मौजूदा मूल्य स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं था। स्वर्ण बांड योजना को देश के मौजूदा मूल्य पर सोने की खरीद के प्रस्ताव पर पुनः शुरू किया जा सकता है। एकत्रित सोने के बाज़ार में आते ही हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं।

परिवर्तन के दौरान सामने आने वाली प्रशासनिक एवं अन्य कठिनाइयां–

(अ) ३१ दिसम्बर, १९६५ को जारी किये गये नोट निम्नलिखित अनुपात
में थे–

			नोटों की संख्या (करोड़ रु० में)
१० रुपये का नोट	१२१५.३३ करोड़ रुपये	या	१२१.५३३
१०० रुपये का नोट	९६९.१९ करोड़ रुपये	या	९.६९१

५ रुपये का नोट	२६१.५२ करोड़ रुपये	या	५२.३००
२ रुपये का नोट	४८.७१ करोड़ रुपये	या	२४.३५५
५००० रुपये का नोट	२२.८७ करोड़ रुपये	या	०.०४७४७
	२५१७.६२ करोड़ रुपये	या	२०७.८७९
१ रुपये का नोट	१८०.०० करोड़ रुपये	या	१८०.०००
	२६९७.६२ करोड़ रुपये	या	३८७.८७९
१००० रुपये का नोट	४६.३८ करोड़ रुपये	या	संख्या मालूम नहीं

इस तरह अगर प्रत्येक पुराने नोट को बदलने के लिए नये नोट की मांग हुई, तो भी मई १९६६ के अन्त तक जारी किये गये नोटों, जिन्हें बदलना है, के मूल्य के आंकलन के हिसाब से करीब ४२५.० करोड़ नोटों की ज़रूरत पड़ेगी। छह महीने या साल भर के अन्दर नासिक सिक्योरिटी प्रेस इतनी ज़्यादा तादाद में नोटों को छाप दे, यह सम्भव नहीं। इसके दो विकल्प हैं

(१) नासिक स्थित प्रेस अपनी क्षमता के अनुसार नोटों को छाप देगा, बाकी का मुद्रण विदेशों में कराया जा सकता है।

या

(२) एक रुपये का नोट शायद बदला नहीं जाए। लेकिन इसमें खतरा यह है कि एक रुपये के नोटों का मूल्य अचानक बढ़ जायेगा, क्योंकि उसे जमाखोर खरीद लेंगे, फिर जैसे ही उसकी आपूर्ति कम होगी, साधारण आदमी के रोजमर्रा का लेन–देन बुरी तरह अवरुद्ध हो जायेगा।

बहरहाल, पूर्ण विश्वास के साथ यह आशा की जा सकती है कि १०० रुपये एवं १० रुपये के नोट बड़ी संख्या में, साथ ही १००० रुपये के नोटों का भी मामूली अनुपात कभी भी अदला–बदली के लिए प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

भारत की कुल जनसंख्या ४८ करोड़ होने से ऐसे लोगों की संख्या शायद १० करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो नोटों को परिवर्तित कराएंगे। फार्मों को दुगुना कर समुचित संख्या में भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं एवं प्रपत्र में सुझाये गये रंगों में छापा जा सकता है, यानी, कुल २२ करोड़ फार्म छापने पड़ेंगे (२० करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी एवं दो करोड़ मान लें, बर्बाद होंगे) यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस काम को अनेक मुद्रकों में बांटा जा सकता है।

देहाती इलाकों में प्रत्येक तहसील स्तर पर (मुद्रा) परिवर्तन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए जो फार्म लोगों को भरने पड़ेंगे, उसे प्रधानों, ग्राम सभापतियों एवं लेखपालों या पटवारियों के पास

नोट बदलने के समय प्रयुक्त होने वाला प्रपत्र

व्यापारी, उद्योगपति वगैरह — सफेद रंग में

क्र.सं.	नाम एवं पता	व्यवसाय की प्रकृति, जैसे दुकानदार, कारखाना, ठेकेदारी वगैरह	कर्मचारियों की संख्या / दैनिक मजदूर	कर्मचारियों का साप्ताहिक या मासिक वेतन	पिछले पांच साल की अनुमानित आमदनी एवं आयकर नम्बर	जितने नोटों को बदलना है, उनकी राशि

वेतनभोगी या निश्चित आय वाला वर्ग — हरे रंग में

क्र.सं.	नाम एवं पता	आमदनी का जरिया जैसे–जायदाद, वेतन वगैरह	आय पिछले पांच साल में जायदाद / वेतन	जितने नोटों को बदलना है, उसकी राशि

किसान — गुलाबी रंग में

क्र.सं.	नाम एवं पता	ज़मीन (एकड़ में) एवं भू–राजस्व	उपजाई गई फसल जैसे, ईख, तम्बाकू, गेहूं, मूंगफली, कपास	पिछले पांच साल की आमदनी का आंकलन / ब्यौरा	जितने नोटों को बदलना है, उसकी राशि

भेजा जायेगा। लेखपाल या ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले ज़मीन के बंदोबस्त एवं भू–राजस्व से सम्बंधित कॉलमों को भरेंगे तथा ग्राम प्रधान से सलाह कर, संभावित आय वाला कॉलम भी। प्रधान की यह जिम्मेवारी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति जितने नोटों को बदलना चाहता है, उसका विवरण फार्म में दर्ज कर दे। इसके बाद प्रधान एवं लेखपाल के साथ नोट बदलने के इच्छुक गांव के सब लोग एक नियत दिन, तहसील मुख्यालय (बैंक) जाकर नोटों एवं फार्मों को जमा कर देंगे–जिसे तत्काल परिवर्तित कर, सम्बंधित लोगों के बीच वहीं–बांट दिया जायेगा।

अमूमन प्रत्येक तहसील में पहले से ही एक बैंक है, लेकिन जहां बैंकिंग सुविधा का अभाव है, वहां जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जा सकती है, ताकि गांव के लोगों की अगर वैसी इच्छा हो, तो अपना बैंक खाता खोलकर उसी समय अपना पैसा जमा कर सकें। एक बार ये सारे नोट बाहर आ गये, तो नोटों को इकट्ठा करने वाले या रखने वाले उसे यों ही घर में जमा कर रखने का खतरा मोल नहीं लेंगे। यहां तक कि (मुद्रा) परिवर्तन से हमारी ग्रामीण आबादी के बीच बैंक से लेन–देन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी एवं गांवों में धन व्यर्थ पड़ा रहने के बजाए सूद अर्जित करने लगेगा।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ट)

हाउ टू एबोलिश जमींदारीः ह्विच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (ज़मींदारी उन्मूलन कैसे करें: किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ ज़मींदारीः टू अल्टरनेटिव्ज। (जमींदारी उन्मूलनः दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ट)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलनः आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ट)

जॉइंट फार्मिंग एक्स–रैडः द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेतीः समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ट)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ट)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीतिः एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ट)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डियाः इट्स कॉज़ एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्तिथिः कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ट)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलक्स। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ट)

'विशिष्ट रचनाएंः चौधरी चरण सिंह' भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन–सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा–पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार – चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति–प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एकः सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव–किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दोः आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीनः राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी–चिंतन, देश में पहली गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चारः उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

Charan Singh Archives
www.charansingh.org

मूल्य ₹६६